

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पालनहार योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. पालनहार का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. निवास स्थान का पूरा पता (यथा मकान नम्बर, मोहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, तहसील जिला)
5. मासिक आय (समस्त स्रोतों से)
6. पालनहार का बैंक खाता संख्या व बैंक/शाखा का नाम :
7. अनाथ बच्चों का विवरण

पालनहार का फोटो

बालक/ बालिका का फोटो

नाम व जाति	लिंग	आयु	शिक्षा	अन्य
1.				

2

नाम	पता	मृत्यु के समय आयु	मृत्यु का कारण	अन्य

8. अनाथ बच्चे के माता—पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण
(यथा खेती, मकान/दुकान/बैंक खाता आदि)

9. संलग्नक

1. पालनहार का आय प्रमाण पत्र (निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिला हेतु पी.पी.ओ.)
2. माता—पिता/पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र।
3. पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान के प्रकरण में विधवा माता का पुनर्विवाह प्रमाण पत्र।
4. नाते जाने वाली माता के प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम सभा/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र (ए.आर.टी. डायरी की प्रतिलिपि)
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का सक्षम चिकित्सा बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
7. अनाथ बच्चों की जाति का प्रमाण—पत्र।
8. सरपंच/वार्ड पार्षद का प्रमाण—पत्र (जिसमें बच्चों का अनाथ होना व पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो।)
9. बच्चों के विद्यालय का प्रमाण—पत्र (6 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों की स्थिति में)

हस्ताक्षर
पालनहार